न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर **W.R.**

अपील डिक्री / टीए / 1195 / 2005 / गंगानगर

1— धनकौर पत्नी स्व0 हरनामसिंह

2— गुलजारसिंह पुत्र हरनामसिंह

3— जरनैलसिंह पुत्र हरनामसिंह

4— सरदूलसिंह पुत्र हरनामसिंह

5— करतार कौर पुत्री हरनामसिंह

6— जसमेलकौर पुत्री हरनामसिंह

7— बलविन्द्र कौर पुत्री हरनामसिंह

समस्त जाति जटसिख निवासी चक 17 एस.जे.एम. (ए) तहसील अनूपगढ़, जिला गंगानगर।

8— रणजीत कौर पत्नी स्व0 गुरदयालसिंह

9— रणवीर कौर पुत्री गुरदयालसिंह

10— सिमरजीत कौर पुत्री गुरदयालसिंह

11— मनजीत कौर पुत्री गुरदयालसिंह

12— कर्मजीत कौर पुत्री गुरदयालसिंह

13— निन्द्रपालकौर पुत्री गुरदयालसिंह

14— वीरपाल कौर पुत्री गुरदयालसिंह

15— राजपाल कौर पुत्री गुरदयालसिंह

समस्त जाति जटसिख निवासी चक 17 एस.जे.एम. (ए) तहसील अनूपगढ़, जिला गंगानगर।

16— संदीप कौर

17— गुरदीप कौर

नाबालिक जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता रणजीतकौर पत्नी गुरदयालसिंह।

—अपीलांटस

बनाम

1— करतारसिंह पुत्र मुन्सीराम अरोड़ा निवासी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला गंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

अपील डिक्री/टीए/1195/2005/गंगानगर

उपस्थितः—

श्री अमृतपाल सिंह वानर, अधिवक्ता अपीलांटस।

श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः— 24.06.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 78/2004 उनवानी धनकौर बनाम करतारसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि तहसील अनूपगढ़ के चक 17 एस.जे.एम. (ए) चक 14 एसजेएम का प.नं. 282/374 के किला नं. 20 ता 22 व प.नं. 282/395 के किला संख्या 1 ता 4, 6 ता 18, 19, 23 ता 25 व प.नं. 281/375 के किला संख्या 11, 12, 18 ता 25 की कुल 24.11 बीघा खातेदारी भूमि जिसके वे रिकार्डेड काश्तकार है, में से पं.नं. 282/375 के किला संख्या 6 ता 9, 11 ता 15, 16 ता 19, 24 की 12.15 बीघा भूमि वादीगण की कब्जा काश्त की भूमि है। अतः उक्त आराजीयात के संबंध में प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित बयनामा दिनांक 17.08.96 को शुरू से प्रभावशून्य, निष्प्रभावी बिला बदल, अपरिवर्तनीय व वादीगण के हितों पर बेअसर घोषित करवाने का अनुतोष चाहा तथा साथ ही प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का निवेदन किया जिसको प्रशासनिक आधार पर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से अतिरिक्त कलेक्टर, सूरतगढ़ को मुन्तकिल किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया। विचारण न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, सूरतगढ़ ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2002 द्वारा वादी का वाद निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर के समक्ष पेश की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04—03—2005 द्वारा वादीगण की अपील खारिज कर दी । प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि हस्तगत वाद को अतिरिक्त कलेक्टर, सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 12.06.2002 को निर्णित किया गया है जबकि अतिरिक्त कलेक्टर, सूरतगढ़ राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 88 व 188 के तहत प्रस्तुत वाद को निर्णित करने हेतु सक्षम नहीं थे । इस तथ्य को अपीलीय न्यायालय ने भी नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

5— विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा किये गये कथनों बाबत् कोई विरोध नहीं किया गया तथा अपीलांटस के कथनों को स्वीकार किया है ।

6— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

7— इस प्रकरण में विधिक प्रश्न निहित है जिसका विनिश्चयन किया जाना आवश्यक है । चूंकि हस्तगत प्रकरण को अतिरिक्त कलेक्टर, सूरतगढ़ द्वारा निर्णित किया गया है जिसमें वह सक्षम नहीं है । रेस्पो0 द्वारा भी इस पर कोई ऐतराज नहीं किया अपितु इस तथ्य को उनके द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

8— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर के समक्ष राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पो0 के पेश कर कथन किया कि चक 17 एस.जे.एम. (ए) चक 143 एसजेएम (का प0नं0 282/374 के किला नंबर 20 ता 22 व प0नं0 282/395 के किला नं0 1 ता 4, 6 ता 18, 19, 23 ता 25 व प0नं0 281/375 के किला नं0 11, 12, 18 ता 25 की कुल 24 बीघा 11 बिस्वा खातेदारी भूमि अवस्थित है जिसके वादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। प्रतिवादी सं0 1 अनूपगढ़ मण्डी में कपड़े का कारोबार करता है । आज से करीब 11 वर्ष पूर्व वादीगण के परिवार में लड़की की शादी थी इसलिये वादी सं0 4 व 9 ता 17 के पिता स्व0 गुरूदयाल सिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्री मुन्शीसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 से शादी के लिए कपड़ा व नकद रूपये उधार लेने हेतु मांग की जिस पर प्रतिवादी व उसका पिता मुन्शीसिंह कहने लगे कि अगर उधार चाहिये तो सरदूलसिंह व गुरूदयाल दोनों खाली स्टाम्प पर अपने दस्तखत करके हमें दे दो तो हम तुम्हे उधार दे देगें । इस पर वादी संख्या मृतक गुरूदयाल सिंह ने परिवार की आवश्यकता को देखते हुए मजबूरीवश खाली स्टाम्प पर अपने हस्ताक्षर कर दिनांक 29.05.1985 को प्रतिवादी व उसके पिता को दे दिया । तत्पश्चात् सन् 1992 में वादी संख्या 4 व स्व0 गुरूदयाल ने प्रतिवादी का समस्त हिसाब चुकता कर दिया तथा अपने खाली स्टाम्प पेपर की मांग की तो कहा कि हमने उक्त स्टाम्प पेपर पर मुख्त्यारनामा लिख लिया था जो असल मिल नहीं रहा है, मिलने पर दे देगें । इस पर वादी संख्या 3 सरदूलसिंह व स्व0 गुरूदयालसिंह को प्रतिवादी सं0 1 के व्यवहार पर शक हुआ कि कहीं उक्त स्टाम्प पेपर का दुरूपयोग नहीं कर

ले, इसलिये सरदूल सिंह व स्व0 गुरूदयालसिंह ने दिनांक 15.05.1992 को तथाकथित फर्जी व कूटरचित मुख्तयारनामा दिनांक 29.05.1985 को निरस्त करने की सूचना साप्ताहित अखबार के अंक 2 दिनांक 23.05.1992 को प्रकाशित करवा दी । इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद पेश करने से एक माह पूर्व आकर कहा कि चक 17 एस जे एम ए का पत्थर संख्या 282/375 का किला नं0 6 का 6 बिस्वा, 7 का 19 बिस्वा, 8, 9 सालम कुल 2 बीघा व 11 ता 15 सालम, 16 ता 18 सालम, 19 का 10 बिस्वा, 24 सालम इस प्रकार कुद तादादी 12 बीघा 15 स्विा भूमि उसने जरिये बेयनामा क्रय कर ली है, इसलिये आप यह भूमि खाली कर दे । अतः वाद स्वीकार कर वाद में चाहा गया अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादी ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया । विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित कुल 6 तनकीयात कायम कर वादीगण का वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2002 के द्वारा निरस्त कर दिया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2005 के द्वारा वादीगण/अपीलांटस की अपील खारिज की है।

8— दोनों अधीनस्थ न्यायलायों के निर्णय व डिक्री तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती होने के बावजूद भी राजस्व मण्डल जो कि राजस्व मामलों की उच्चतर न्यायालय (Apex Court) है, के स्तर पर द्वितीय अपील के माध्यम से यह देखा जाना/अभिनिर्धारित किया जाना अपरिहार्य हो जाता है कि आराजी जैर के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र को डिक्री करने की अधिकारिता विचारण न्यायालय को प्राप्त थी अथवा नहीं? जैसा कि अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा बहस के दौरान विधिक प्रश्न उठाया गया है । इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया गया है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सूरतगढ़ को विचारण न्यायालय के तौर पर निर्णय पारित करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त विधिक ऐतराज के संबंध में विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

9— प्रकरण में अपीलांटस/वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, एवं 188 के तहत आराजी जैर की घोषणा, स्थायी व्यादेश बाबत् वाद पेश किया गया । उक्त वाद के विचाराधीन रहते वादी जरनेरल सिंह द्वारा जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उन्हें उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से न्याय की उम्मीद नहीं है । अतः प्रकरण किसी अन्य न्यायालय को हस्तातंरित किया जावे । उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर ने बाद सुनवाई अपने आदेश दिनांक 04.05.1998 द्वारा प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सूरतगढ़ को हस्तातंरित

किये जाने के आदेश पारित किए । उक्त प्रकरण हस्तातंरण से प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सूरतगढ़ ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2002 को पारित कर वादीगण का वाद खारिज किया है। ऐसी स्थिति में हमने अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, एवं 188 के तहत के पारित निर्णय एवं डिक्री बाबत् सुनवाई किये जाने के प्रश्न के निर्धारण हेतु क्षेत्राधिकारिता के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की तृतीय अनुसूची का अवलोकन किया । उक्त अनुसूची के क्रम संख्या 5 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत वादी के अधिकारों की घोषणा संबंधी वाद के निपटारा करने के लिये सक्षम न्यायालय/अधिकारी सहायक कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत शाश्वत व्यादेश के वाद के निपटारे हेतु अनुसूची के क्रम संख्या 23–ग के अनुक्रम में सक्षम न्यायालय/अधिकारी सहायक कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। इस प्रकार विधि में उपलब्ध प्रावधानों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत वादपत्र पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सूरतगढ़ को प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी उनके द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गयी है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सूरतगढ़ द्वारा आराजी जैर बाबत् सारभूत कानून (Substantial Law) जिसके माध्यम से पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण किया जाता है, की अवहेलना करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2002 पारित किया जाना प्रकट होता है। इस तथ्य को जिला कलक्टर द्वारा भी प्रकरण हस्तातंरित करते समय नहीं देखा गया है एवं ना ही विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील में देखा गया है । इसी क्रम में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2003 पार्ट ।। पेज 953 में अभिलिखित किया गया है किः–

Rajasthan Tenancy Act, 1955 - Secs. 224, 235 - District Collector transferred the suit to Addl. Collector who passed the decree - Legality - Court of Asstt. Collector is a competent court for the trail of the suit for declaration partition & permanent injunction - Case can be transferred to competent Court only - No notification produced to show that powers can be delegated to Addl. Collector - Addl. Collector has passed the judgment beyond the jurisdiction- RAA has also ignored the legal position - Held, judgments & decree are without jurisdiction & set aside & case remanded to Collector to transfer it to competent Court.

इस प्रकार उपरोक्त विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांत के आलोक में यह स्पष्ट जाहिर हे कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सूरतगढ़ द्वारा निर्णय एवं

डिक्री दिनांक 12.06.2002 पारित करने में क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि कारित की गई है।

10– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा वाद संख्या – 02 / 1998 बउनवान धनकोर व अन्य बनाम करतारसिंह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2002 तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या– 78 / 2004 बउनवान धनकोर बनाम करतारसिंह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2005 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह प्रकरण को सक्षम न्यायालय में नियमानुसार सुनवाई एवं न्याय निर्णयन हेतु हस्तातंरित करावें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष